हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सा०का०नि० 92/संवि०/अनु० 309/2022.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 2000, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (ग्रुप–ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 2000 में, नियम 5 में, ''इक्कीस वर्ष'' तथा ''चालीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''अठारह वर्ष'' तथा ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

विनीत गर्ग,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 92/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group-B) Service Rules, 2000, namely:-

1. These rules may be called the Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group-B) Service Rules, 2000, in rule 5, for the words and sign “twenty-one” and "forty", the words and sign “eighteen” and "forty-two" shall respectively be substituted.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

9604—L.R.—H.G.P., Pkl.